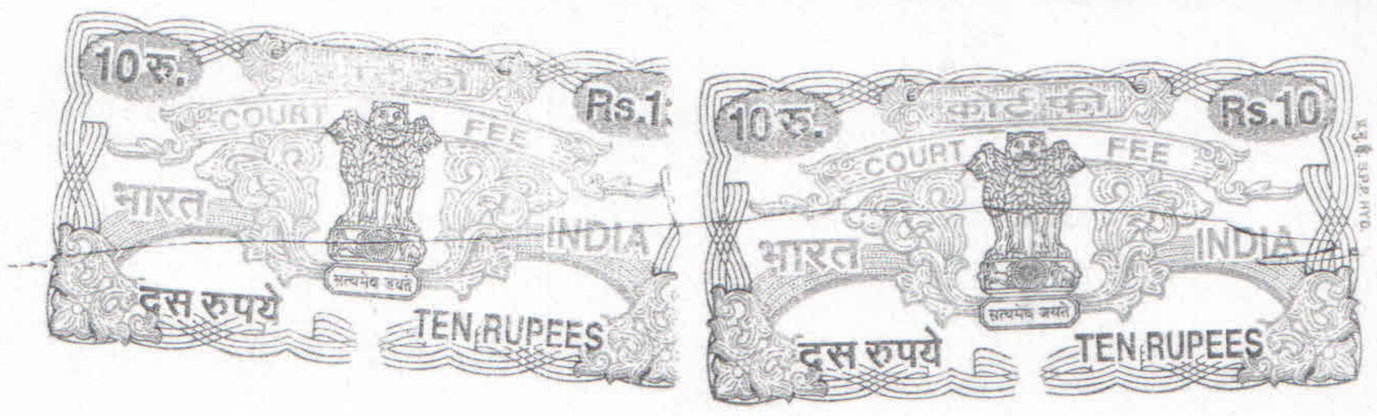

(8)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014

निग- 1748-I-14

तेजसिंह पिता उमरावसिंह सेंधव उम्र 42 वर्ष धंधा कृषि कृषक एवं निवासी ग्राम चौबारा जागिर तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

....पुनरीक्षणकर्ता

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 10-6-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

अब्दुल्ला पठान पिता श्री वहीदखां पठान उम्र 28 वर्ष जाति पठान मुसलमान निवासी 9 बडा बाजार देवास जिला देवास म.प्र.

....गैरपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र.भु.रा.स. के अधीन

(अधिनस्थ न्यायालय माननीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग सोनकच्छ के न्यायालयीन अपील प्रकरण क्रं. 8 /2013–14 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 5/6/14 के विरूद्ध)

माननीय न्यायालय ,

(51)

तेजसिंह विरूद्ध अब्दुल्ला पठान

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1748–एक / 14

जिला – देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09–9–14	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि को विकय के प्रयास में है इस कारण इस न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश को आगे बढ़ाया जाये । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा स्थगन बढ़ाये जाने का विरोध करते हुए कहा गया कि उन्होंने भूमि पंजीकृत विकयपत्र से कय की है । प्रकरण अभी एस.डी.ओ. के न्यायालय में विचाराधीन है । आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण को लंबित रखने के उद्धेश्य से की गई है । उक्त आधारों पर अनावेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी निरस्त करने तथा प्रकरण का निराकरण एस.डी.ओ. द्वारा शीघ्र किए जाने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया । आवेदक अधिवक्ता भी इस बात से सहमत हैं कि एस.डी.ओ. को निर्देश देते हुए प्रकरण समाप्त किया जाये । 3– उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है जहां प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर होना है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण को इस न्यायालय में आगे चलाए रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अतः अनुविभागीय अधिकारी को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का निराकरण यथाशीघ्र करें । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण किए जाने तक प्रश्नाधीन भूमि का विकय प्रतिबंधित रहेगा । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	